मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र नियम,1981

क्रमांक एक- 14- (ए) - 9 - 81 -बी- (1) -दो-- मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, ' 1981 (क्रमांक 5 सन् 1981) की धारा 22 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदव्दारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

नियम

1. मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र नियम 1981 कहलायेंगे

2. इन नियमों में
   (क) “अध्यादेश " से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 (क्रमांक 5 सन् 1981);
   (ख) " प्ररूप” से अभिप्रेत है इन नियमो में संलग्न प्ररूप ।

3. अध्यादेश की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्र रूप एक में होगी ।

4. अध्यादेश की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यावेदन प्ररूप दो में किया जाएगा ।

प्ररूप-एक

[नियम 3 देखिये]

चूंकि मेरे..... जिला मजिस्ट्रेट, जिला..... ....पास यह समझने का कारण है कि आप श्री..... ..... के पास इसके नीचे दो गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति है;

और चूंकि इनके नीचे वर्णित कारणों से (कारण दीजिये)..... ..... में यह समझता छूँ कि उक्त सम्पत्ति विनिर्दिष्ट अपराध या अपराधों को करके प्राप्त की गई है ।

अतएव, मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, में एतदव्दारा, यह घोषित करता हूँ कि आपके कब्जे में की उक्त सम्पत्ति विनिर्दिष्ट अपराध या अपराधों के किये जाने में अर्जित की गई है और तद्नुसार उसकी कुर्की का आदेश देता हूँ, और

उक्त धारा की उपधारा (3) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए में, एतद्द्वारा श्री..... ..... को, उक्त सम्पत्ति का उसकी कुर्की की कालावधि के दौरान प्रशासन करने लिए नियुक्त करता हूँ ।

अनुसूची

[सम्पत्ति का विवरण]

सम्पत्ति	स्थान जहां स्थित है
(1)	(2)
	जिला मजिस्ट्रेट
तारीख	जिला.....

प्ररूप-दो

[नियम 4 देखिये]

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जिला.....

मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यावेदन ।

महोदय,

मेरी जानकारी में यह आया है कि मेरी सम्पत्ति,

अर्थात्.....

.....

विषय-सूची]

(1)

(2)

(3)

मध्य प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कुर्क कर ली गई, है देखिये आपका कुर्की आदेश क्रमांक..... तारीख.....

उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण में एतद्दारा, निम्नानुसार अभ्योवदन करता हूँ :-

(1) यहाँ आय, उपजीविकाओं यार आस्तियों के स्त्रोत दीजीए जिनसे या उसके माध्यम से उक्त सम्पत्ति अर्जित की गई थी ।

(2) यहाँ यह साक्ष्य दीजीए जिस पर विश्वास किया गया है ।

(3) यहाँ दावे से सुसंगत अन्य जानकारी तथा विशिष्टियां दीजीए ।

चूंकि मैंने मेरे कब्जे में की सम्पत्ति के लिए समाधानकारक रूप से लेखा-जोखा दे दिया है अत: मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

तारीख.....

आवेदक

[मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 4 (ग) दिनांक 22 मई, 1981 को पृष्ठ 119 पर प्रकाशित ।